आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

प्रियम्शन अपील वाद संख्या–09/2018–19

08/01/2021

अपीलार्थी

1. मनजूर हुसैन, पिता–शेख अब्दुल मजीद, सा0–मसना, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी

1. सिउली बीबी, पति–उलफत शेख,
2. प्रदीप कुमार घोष, पिता–स्व0 प्रभात कुमार घोष,
3. गौतम कुमार घोष, पिता–स्व0 प्रभात कुमार घोष,
4. उत्तम कुमार घोष, पिता–स्व0 प्रभात कुमार घोष, सभी सा0 सभी सा0–मसना, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत प्रियम्शन अपील वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा प्रियम्शन वाद संख्या 01/2016–17 में दिनांक 26.02.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। अपीलार्थी के द्वारा धारा–5 के अन्तर्गत कालक्षांति से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया। कालक्षांति आवेदन को स्वीकृत करते हुए अपील वाद को अंगीकृत कर उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई।

प्रश्नगत भूमि का विवरण।

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
मसना	96/3	365	5 कट्ठा 2 धुर

नोटिस तामिला प्राप्त। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है, जो अवैध है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल बिना कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी से जाँच कराये प्रश्नगत भूमि पर आदेश पारित कर दिये, जबकि उक्त भूमि खेतिहर भूमि है। वर्तमान में उक्त भूमि पर खेती करने का सामग्री का उपयोग किया जाता है एवं अपीलार्थी निकटवर्ती या अलियादार रैयत है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में बिना किसी ठोस दस्तावेज के आदेश पारित कर दिया गया। उसे किसी सक्षम पदाधिकारी से जाँच करा लेना चाहिए, परन्तु माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों को देखे बिना उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया, जो सही नहीं है, जिसे निरस्त कर देना चाहिए।

उन्होंने माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा प्रियम्शन वाद संख्या 01/2016–17 में दिनांक 26.02.2018 को पारित आदेश को अपास्त (Set aside)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

करने एवं अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी द्वारा अपने लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा प्रियम्शन वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में सटे हुए (अलियादार) की हैसियत से दायर किया। Bihar land reforms (Fixation of ceiling area and execution of surplus land) Act-1961 की धारा–16(3)(i) के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा–मसना, जमाबंदी नं0–96/3, दाग नं0–365 रकवा 05 कट्ठा 02 धुर से संबंधित है।

आगे उत्तरवादी के द्वारा अपने बहस में कहा गया कि अपीलार्थी का कहना है कि सरीकदार एवं निकटवर्ती रैयत होने के नाते उपरोक्त वर्णित भूमि क्रय करने का पहला हक अपीलार्थी (मंजूर हुसैन) को है।

आगे उत्तरवादी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा संबंधित वाद को दायर करने के पूर्व विपक्षियों–प्रतिवादीगण को निबंधित डाक से सूचना भेजी जानी चाहिए लेकिन अपीलार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी सं0–01 ने निचली अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रिइम्पटर के स्थापित सांविधि प्रक्रिया में LC-13 में दो अनुसूचि–I एवं अनुसूचि–II। अनुसूचि–I में विवादित भूमि का विवरण एवं अनुसूचि–II में प्रिइम्शन के जमीन का विवरण होगा, जो प्रिइन्पटर के उस दावें को पुष्टि करेगा कि विवादित भूमि का चौहद्दीदार है या आंशिक हिस्सेदार। परन्तु आवेदक द्वारा LC-13 का अनुसूचि–II नहीं दर्शाया गया है। इसलिए आवेदक के दावा का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।

आगे उनके द्वारा विभिन्न नियमों का उदाहरण प्रस्तुत कर कहा कि फार्म LC-13 में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। Section-19(i) में स्पष्ट अंकित है कि आवेदन की एक प्रति निबंधित डाक से विपक्षी को भेजना चाहिए, जिसका पाबन्ती प्राप्त करना चाहिए, परन्तु ऐसाा नहीं किया गया। Section-19(i) से स्पष्ट है कि Application by co-sharer or raiyat of adjoining land for transfer of land under section-16(3) shall be inform LC-13.

आगे उन्होंने यह भी कहा कि मौजा मसना के जमाबन्दी नं0–96/3, दाग नं0–365 कुल रकवा 03 बीघा 10 कट्ठा जमीन विपक्षी क्रम सं0–02 से 04, प्रदीप घोष, गौतम घोष एवं उत्तम घोष तीनों, पिता–प्रभाग घोष ने निबंधित केवाला सं0–1155 दिनांक 22.04.1957 के जरिये निमाई मंडल से क्रय कर नामांतरण करा लिये है। प्रभात घोष के मुत्योपरान्त उनके पुत्रगण विपक्षी क्रमांक 02 से 04 तक उक्त जमीन वारिसान सुत्र से प्राप्त कर 03 बीघा 10 कट्ठा जमीन में से अधिकांश भूमि बेच चुके है। लेकिन आवेदक मंजूर हुसैन द्वारा किसी भी पूर्व क्रेता के विरूद्ध Pre-Emption वाद दायर नहीं किये। विपक्षी सं0–01 प्रश्नगत भूमि के अंश रकवा निबंधित केवाला सं0 227/2016 दिनांक 26.02.2016 को विपक्षी सं0–02 से 04 तक पिता–प्रभात घोष से क्रय कर अपने नाम से नामांतरण कराकर शांतिपूर्ण भोग–दखल में है। प्रश्नगत भूमि के चौहद्दीदार उत्तर मंजूर मौलवी उर्फ मंजूर हुसैन एवं उत्तरवादी सिउली बीबी नीज। आगे उनके द्वारा कहा गया कि माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा कहा गया कि प्रियम्शन वाद सं0–01/2016–17 (मंजूर हुसैन –बनाम– सिउली बीबी वगै0) में दिनांक 26.02.2018 को जो आदेश पारित किये है वो विधिसंगत एवं सही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि की बिक्री पहले भी हुआ है लेकिन अपीलार्थी द्वारा पहले प्रियम्शन वाद दाखिल क्यों नहीं किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
की एवं थ	3	

उनके द्वारा माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय के प्रियम्शन वाद सं0 01/2016–17 दिनांक 26.02.2018 को यथावत रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय के C.W.J.C. No. 11668/2008 दिनांक 02.06.2009 (बनारसी मंडल –बनाम– राज्य सरकार बिहार, JCR-2006(4) दिनांक 11.07.2006 (रघुनाथ राम रघुबीर –बनाम– झारखण्ड राज्य एवं अन्य निबंधित केवाला Bihar land reforms (Fixation of ceiling area and execution of surplus land) Act-1961 की छाया प्रति दाखिल।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–मसना, जमाबंदी नं0–96/3, दाग नं0–365 रकवा 05 कट्ठा 02 धुर से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि के चौहद्दीदार दोनों है। मौजा मसना के प्रश्नगत जमाबंदी नं0–365 के भूमि की चौहद्दी पूर्व में धानी थी एवं वर्तमान में वास्तु योग्य भूमि है। दोनों निकवर्ती रैयत है।

उत्तरवादी द्वारा दाखिल सूचीबद्ध कागजात एवं Ruling से स्पष्ट है कि "Applicability of the Provision of Pre-emption in the case of Urmila Devi –vs- State and Bihar and other 1998(1)PLJR. Wherein, it has been held that when the land in question is not agriculture land and is has held for residential purposes, as started in the registered sale deed the provisions of section 16(3) relating to Pre-emption will not be applicable. (Triveni Singh –vs- The State of Bihar and others) 2007(4) PLJR-109"

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह भी सपष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा Section 19(i) Form LC-13 का भी अनुपालन नहीं किया गया। इस आधार पर भी अपीलार्थी के द्वारा Pre-emption Appeal लागू करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव सभी तथ्यों एवं प्राप्त अभिलेख में सम्यक विचारोपरान्त भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा प्रियम्शन वाद सं0 01/2016–17 (मंजूर हुसैन –बनाम– सिउली बीबी वगै0) में दिनांक 26.02.2018 को पारित आदेश को Up-Held (यथावत) रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/1/21

उपायुक्त,
साहेबगंज।

8/1/21

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 14:15:49 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner